न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री जयसिंह आरएएस

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

मु0न0 : 24/2021 (2021/209)

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. मदनलाल पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

— **प्रार्थीगण**

बनाम

भगवानाराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

— **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत।

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : **प्रार्थी**

निर्णय **दिनांक :** 20/7/21

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक नं0 8 जेएसएल के खाता सं0 156/85 के मु0नं0 77 के किला नं0 22, 23 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला नं0 24/1 की 0.033 है0, मु0नं0 108 के किला नं0 2, 3 के प्रत्येक किला की 0.253 है0किला नं0 4/1, 7/1, 14/1 के प्रत्येक किला की 0.031 है0, किला नं0 8, 9, 13 की के प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 1.897 है0 बारानी कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है और प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पूर्वी तरफ चक नं0 8 जेएसएल के खाता सं0 124/125 के मु0नं0 77 के किला नं0 24/2 की 0.220 है0 किला नं0 25 की 0.253 है0 मु0नं0 108 के किला नं0 4/2, 7/2, 14/2 के प्रत्येक किला की 0.222 है0 किला नं0 5, 6, 15 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 1.898 है0 बारानी कृषि भूमि अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है और गांव भिरानी की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 77 के खाता सं0 417/191 के मु0नं0 77 के किला नं0 12, 13 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 95 के किला नं0 16 ता 20 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0नं0 226 के किला नं0 10, 11, 20 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 227 के किला नं0 6, 15 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 मय रास्ता प्रत्येक किला में 0.013 है0, किला नं0 16 की 0.253 है0 मय रास्ता 0.012 है0 कुल 3.289 है0, बारानी 3.251 है0 रास्ता 0.038 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है और गांव भिरानी के खाता सं0 295/285 के मु0नं0 77 के किला नं0 11 मु0नं0 78 के किला नं0 15 मु0नं0 95 के किला नं0 11 ता 15 मु0नं0 226 के किला नं0 8, 9, 12, 13, 18, 19 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 3.289 है0 बारानी अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थीगण के पिता निहालसिंह और अप्रार्थी भगवानाराम सगे भाई है। उक्त कुल भूमि प्रार्थीगण और अप्रार्थी के संयुक्त खाता की कृषि भूमि थी जिसका खाता विभाजन अच्छी मन्दी व रास्ता की भूमि को ध्यान में रखते हुए किया हुआ है। खाता विभाजन से पूर्व प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी ने अपनी अपनी भूमि में आवागमन हेतु सहमति से रास्ता के लिए भूमि छोड दी थी और इसी अनुसार वे अपने अपने खेतों में आवागमन करते चले आ रहे है। परन्तु खाता विभाजन के समय श्रीमान तहसीलदार महोदय को रास्ता स्वीकृत करने की शक्तियां नहीं होने के कारण हम पक्षकारान के खेतों में आवागमन हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुए है जो अब हम पक्षकारान रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर होकर जाकर अप्रार्थी को नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक सामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:17:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता निहालसिंह और अप्रार्थी भगवानाराम सगे भाई है। उक्त कुल भूमि प्रार्थीगण और अप्रार्थी के संयुक्त खाता की कृषि भूमि थी जिसका खाता विभाजन अच्छी मन्दी व रास्ता की भूमि को ध्यान में रखते हुए किया हुआ है। खाता विभाजन से पूर्व प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी ने अपनी अपनी भूमि में आवागमन हेतु सहमति से रास्ता की भूमि छोड़ दी थी और इसी अनुसार वे अपने अपने खेतों में आवागमन करते चले आ रहे है। परन्तु खाता विभाजन के समय श्रीमान तहसीलदार महोदय को रास्ता स्वीकृत करने की शक्तियां नहीं होने के कारण पक्षकारान के खेतों में आवागमन के लिए छोड़े गए रास्ते राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुए है जिस कारण पक्षकारान अब रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने चक 8 जेएसएल की अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए रास्ता अप्रार्थी के खाता सं0 124/125 में से के मु0नं0 108 के किला नं0 14/2 की 0.222 है0 बारानी में से दक्षिणी तरफ से एक बिस्वा चौड़ाई का यानि (8–1/4 फुट) पूर्व से पश्चिम व अप्रार्थी ने अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए प्रार्थीगण की खातेदारी ग्राम भिरानी के खाता सं0 417/191 के मु0नं0 227 के किला नं0 16 और मु0नं0 226 के किला नं0 20 प्रत्येक किला में से दक्षिणी तरफ से एक बिस्वा चौडाई का यानि (8–1/4 फुट) पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी ने आवागमन के लिए रास्ता बाबत आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है तथा प्रस्तावित रास्ते दोनों पक्षकारान के लिए सुविधाजनक व कम दूरी के है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की भूमि चक 8 जेएसएल के खाता सं0 156/85 की कुल 1.897 है0 बारानी में आवागमन हेतु अप्रार्थी की भूमि चक नं0 8 जेएसएल के खाता सं0 124/125 की कुल 1.898 है0 बारानी के मु0नं0 108 के किला नं0 14/2 की 0.222 है0 बारानी में से दक्षिणी तरफ से एक बिस्वा चौड़ाई का यानि (8–1/4 फुट) पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा अप्रार्थी की भूमि गांव भिरानी के खाता सं0 295/285 की कुल 3.289 है0, बारानी के मु0नं0 226 के किला नं0 8, 9, 12, 13, 18, 19 की भूमि में आवागमन हेतु प्रार्थीगण की भूमि गांव भिरानी के खाता सं0 417/191 की कुल 3.289 है0 बारानी 3.251 है0 गैर मु0 रास्ता 0.038 है0 के मु0नं0 227 के किला नं0 16 और मु0नं0 226 के किला नं0 20 प्रत्येक किला में से दक्षिणी तरफ से एक बिस्वा चौडाई का यानि (8–1/4 फुट) पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकित किया जावे। तहसील राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:17:34 IST
Reason: SelfAttested

(सुभाषसिंह R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़